

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक:- 28.09.2026

थाना ज्ञानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शीतलवाटिका आर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से धोखाधड़ी करने वाला मुख्य अभियुक्त फिरोज खान गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत शिकायतकर्ता सुभाषचन्द्र पाण्डेय, पुत्र स्व० महानन्द पाण्डेय, निवासी सिंहपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही के साथ शीतलवाटिका आर्गेनिक प्रा० लि० के प्रबंध निदेशक फिरोज खान, सवाना खातून तथा उनके सहयोगियों जितेन्द्र शर्मा व घनश्याम द्वारा व्यावसायिक धोखाधड़ी किये जाने का प्रकरण सामने आया। आरोपियों ने जैविक खेती का जिला स्तरीय वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव देकर न्यूनतम ₹10 लाख निवेश कराने का आश्वासन दिया कि बदले में ₹12.20 लाख मूल्य के जैविक उत्पाद तथा ₹8.47 लाख मूल्य का एक वाहन दिया जाएगा, जिसकी ई०एम०आई० कम्पनी 5 वर्ष तक स्वयं भरेगी। निवेश के उपरान्त मात्र लगभग ₹2.50 लाख का माल देकर आपूर्ति बंद कर दी गई, उचित जी०एस०टी० बिल नहीं दिया गया तथा कार्यालय व मोबाइल बंद कर फरार हो गए। उक्त तथ्यों पर मु०अ०सं० 331/25 धारा 318(4) बी०एन०एस० थाना ज्ञानपुर पंजीकृत किया गया। विवेचना में कम्पनी पंजीकरण एवं धोखाधड़ी की रीति सामने आने पर धारा 316(5) बी०एन०एस० की बढ़ोतरी की कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर *श्री चमन सिंह चावड़ा* के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.09.2026 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा ज्ञानपुर तिराहा से अभियुक्त फिरोज खान को ट्रैम्पो से उतरते समय गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

फिरोज खान, पुत्र स्वर्गीय समीम खां, उम्र करीब 50 वर्ष। स्थायी पता: मकान नंबर-286, नई बाजार छोटी मस्जिद, थाना भगवान बाजार, जिला छपरा (सारन), बिहार।

वर्तमान पता: पक्की सराय चंदवारा मोहल्ला, थाना टाउन, मुजफ्फरपुर, बिहार।

पंजीकृत अभियोग:- मु०अ०सं० 331/25, धारा 318(4) व 316(5) बी०एन०एस०, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त ने शीतलवाटिका आर्गेनिक प्रा० लि० (सी०आई०एन० U74999BR2019PTC041753) पंजीकृत कराकर ग्राहकों को जैविक खेती एवं वितरण केन्द्र का विश्वास दिलाने की बात सामने आई। शिकायतकर्ता से ₹10 लाख का निवेश कराकर वादे के अनुसार ₹12.20 लाख के उत्पाद एवं वाहन नहीं दिए गए, मात्र लगभग ₹2.50 लाख का माल दिया गया तथा बाद में कार्यालय बंद कर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए गए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह अंतरराज्यीय गिरोह उत्तर प्रदेश (भदोही, चंदौली) के अलावा बिहार व झारखण्ड में भी इसी प्रकार की ठगी में संलिप्त रहा है तथा पश्चिम बंगाल में नेटवर्क फैलाने की योजना बना रहा था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० हरिकेश सिंह, हे०का० मुलायम यादव, म०का० आयुषी सिंह, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।